राय, इस साक्ष्य की कोई कानूनी पवित्रता नहीं थी और इसके अलावा, रिकॉर्ड पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। पूछताछ के दौरान कोई सामग्री या सबूत पेश नहीं किया गया कि याचिकाकर्ता आरोपी व्यक्तियों को भोजन परोसता था। माना कि याचिकाकर्ता केवल रसोइया था। उन्होंने विशेष रूप से आरोपी व्यक्तियों या यहां तक कि अधिकारियों को भोजन परोसने के सभी आरोपों से इनकार किया है। इस बात का कोई सबूत न होने पर कि याचिकाकर्ता ने आरोपी राजिंदर कुमार उर्फ काला को भोजन परोसा था, पूछताछ के दौरान आरोपी तक पहुंच के अभिमानपूर्ण आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह एक ऐसा मामला है जहां निष्कर्ष बिना किसी सबूत पर आधारित हैं और कानून में टिकाऊ नहीं हैं। तदनुसार यह याचिका सफल होती है। जांच रिपोर्ट और परिणामी बर्खास्तगी आदेश दिनांक 3 जनवरी, 2008 (अनुलग्नक पी-24) को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। वह सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा।

आर.एन.आर.

रणजीत सिंह न्यायमूर्ति, के सामने

सावित्री देवी-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2008 का 4919

9 अक्टूबर, 2009

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-एचएसएमआईटीसी को राजस्व विभाग में समाहित करने पर याचिकाकर्ता के पति-अतिरिक्त वेतन वृद्धि/उच्च मानक वेतनमान के

लाभ के लिए पिछली सेवा की गिनती-प्रतिवादी उच्च मानक पैमाने के लाभ के लिए पिछली सेवा की गिनती से इनकार कर रहे हैं-उच्च न्यायालय ने अनुमति दी याचिकाकर्ता और याचिकाकर्ता के पति पिछली सेवा को ध्यान में रखते हुए उच्च मानक वेतनमान प्राप्त करना जारी रखते हैं - याचिकाकर्ता के पति को सेवा के 20/वर्ष पूरे होने पर दूसरी एसीपी भी प्रदान की जाती है - याचिकाकर्ता की पेंशन अंतिम आहरित वेतन को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है - दूसरी एसीपी को वापस लेना बिना कोई नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए वेतनमान - याचिकाकर्ता के पति को पहले से दिए गए वेतन के अतिरिक्त भुगतान की वसूली - विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित पहले के आदेश के मद्देनजर एसीपी वेतनमान वापस लेकर वेतन का पुनर्निर्धारण करने का कानून में या अन्यथा कोई औचित्य नहीं - की कार्रवाई प्रतिवादी पूरी तरह से अनुचित, अनुचित है, इस प्रकार, टिकाऊ नहीं है - पेंशन लाभ से की गई वसूली याचिकाकर्ता को चुकाने का आदेश दिया गया है - याचिका स्वीकार की गई।

माना गया कि उपमंडल अधिकारी (हिसार), एक आईएएस अधिकारी ने इस रिट याचिका का जवाब दायर किया है। दरअसल, इतने वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी जिस लापरवाही से जवाब दाखिल कर रहे हैं, वह लगभग सभी मामलों में देखा जा सकता है। उत्तर आम तौर पर बिना दिमाग लगाए दाखिल किए जाते हैं। शायद दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं द्वारा तैयार किए गए जवाबों पर अधिकारियों से बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि अधिकारियों को अपनी ओर से इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उच्च न्यायालय सहित कानून की अदालतों के समक्ष सटीक दलीलें दायर करनी चाहिए।

(पैरा 4)

इसके अलावा, यह माना गया कि वसूली करने से पहले कभी भी कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इस संबंध में औचित्य यह है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नोटिस देना संभव नहीं था। यह रुख यद्यपि अनुचित है, परंतु क्रूर भी प्रतीत होगा। एक बार जब कर्मचारी नहीं रह जाता है, तो लाभ उसकी पत्नी को देय होगा जो कानूनी रूप से इसे प्राप्त करने की हकदार है। इस प्रकार, इस विशिष्ट याचिका पर नोटिस देने की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा

सकता क्योंकि कर्मचारी अब नहीं रहा। संक्षेप में, इस रिट याचिका पर कुल प्रतिक्रिया प्रतिवादियों की ओर से उदासीनता को दर्शाती है, इसके अलावा अदालतों के समक्ष मौजूद मुद्दों से निपटने में पूरी तरह से सावधान और आकस्मिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। विभिन्न अदालतों द्वारा इस संबंध में पारित पहले के आदेश के मद्देनजर एसीपी स्केल को वापस लेकर याचिकाकर्ता के दिवंगत पति के वेतन को फिर से तय करने का कानून या अन्यथा कोई औचित्य नहीं है। उत्तरदाताओं की यह कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित, अन्यायपूर्ण और इस प्रकार, टिकाऊ नहीं है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को देय पेंशन लाभ से जो वसूली का आदेश दिया गया है, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ता के वकील राजबीर सहरावत।
हरीश राठी, वरिष्ठ डीएजी हरियाणा, राज्य के लिए।

सावित्री देवी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य
(न्यायमूर्ति, रणजीत सिंह)

न्यायमूर्ति, रणजीत सिंह

(1) याचिकाकर्ता राज कुमार की विधवा है, जिन्होंने भूमि अभिलेख विभाग, हरियाणा में सेवा की थी। सेवा के दौरान 2 फरवरी, 2006 को उनका निधन हो गया। याचिकाकर्ता के पति 22 जून, 1979 को हरियाणा राज्य लघु सिंचाई और ट्यूबवेल निगम (एचएसएमआईटीसी) में तदर्थ आधार पर पटवारी के रूप में शामिल हुए थे। उनकी सेवाओं को 22 जून, 1979 से 7 जुलाई, 1982 के आदेश द्वारा नियमित कर दिया गया। वर्ष 1989 में, हरियाणा राज्य ने एचएसएमआईटीसी को बंद करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही; सरकार द्वारा इस निगम के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समाहित करने का निर्णय

लिया गया। याचिकाकर्ता के पति को तदनुसार भूमि अभिलेख विभाग, हरियाणा में इस शर्त पर समाहित किया गया था कि राजस्व विभाग में अब्सॉर्प्शन के बाद, उन्हें एचएसएमआईटीसी से प्राप्त एलपीसी के अनुसार उसी दर पर वेतन दिया जाएगा। तदनुसार, याचिकाकर्ता के पति वर्ष 1990 में राजस्व विभाग में शामिल हो गए। यह कहा गया है कि सरकार ने 20 मार्च, 1998 को एचएसएमआईटीसी के पूर्व कर्मचारियों की सेवा को उनके अब्सॉर्प्शन के बाद अतिरिक्त वेतन वृद्धि/उच्च के लाभ के लिए गिनने का निर्णय लिया। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के पति को एचएसएमआईटीसी में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए आठ साल की सेवा पूरी करने पर वेतन वृद्धि दी गई थी। दस वर्ष की सेवा पूरी करने पर उन्हें उच्च मानक वेतनमान का लाभ भी दिया गया।

(2) इसके बाद, 20 जुलाई 1999 को, उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के पति द्वारा एचएसएमआईटीसी में प्रदान की गई पिछली सेवा को उच्च मानक वेतनमान/अतिरिक्त वेतन वृद्धि के रूप में गिनने के लाभ से इनकार करने का निर्णय लिया। तदनुसार याचिकाकर्ता के पति ने 1999 की सिविल रिट याचिका संख्या 13141 दायर करके इस निर्णय को चुनौती दी। इस रिट याचिका को 9 अक्टूबर, 2000 को अनुमति दी गई और इस प्रकार, एचएसएमआईटीसी ने अपनी पिछली सेवा को ध्यान में रखते हुए उच्च मानक वेतनमान प्राप्त करना जारी रखा। उत्तरदाताओं ने उच्च मानक वेतनमान के इस लाभ को वापस लेने के लिए कभी कोई नोटिस नहीं दिया। याची के पति को भी जीवन काल में यह वेतनमान वापस नहीं लिया गया। बीस साल की सेवा पूरी होने पर, याचिकाकर्ता के पति को 22 जून, 1999 को दूसरा एसीपी प्रदान किया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के पति ने उन्हें दिया गया दूसरा एसीपी स्केल प्राप्त करना जारी रखा। वर्ष 2006 में उनकी मृत्यु पर, याचिकाकर्ता को देय पारिवारिक पेंशन उसके दिवंगत पति द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी। इसके बाद, हालांकि, उत्तरदाताओं ने बिना कोई नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए 29 अगस्त, 2007 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के पति को दिया गया दूसरा एसीपी वेतनमान वापस ले लिया। याचिकाकर्ता के दिवंगत पति का वेतनमान तदनुसार 4,000-6,000 रुपये पूर्वव्यापी रूप से पैमाने पर तय किया गया है । ऐसा उनके

द्वारा एचएसएमआईटीसी में दी गई सेवा को वापस लेने के बाद किया गया है। इस आधार पर, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और मासिक वित्तीय सहायता, जो याचिकाकर्ता को स्वीकार्य और दी जाती है, भी उत्तरदाताओं द्वारा कम कर दी गई है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता के दिवंगत पति को अधिक वेतन भुगतान के मामले में उनसे 2,01,440 रुपये वसूलने का निर्देश दिया गया है। अत्यंत अनुचित तरीके से, उत्तरदाताओं ने रुपये की राशि समायोजित की है। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की राशि के विरुद्ध 1,10,084 रुपये और शेष राशि भी अवकाश नकदीकरण की राशि और याचिकाकर्ता को देय मासिक वित्तीय सहायता से वसूल करने का आदेश दिया गया है। इस संबंध में प्रतिवादियों द्वारा पारित आदेश याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार, असहाय याचिकाकर्ता के पास वर्तमान रिट याचिका दायर करके इस अदालत से संपर्क करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

(3) यद्यपि इस मामले में प्रस्ताव का नोटिस जारी करते समय स्थगन संबंधी नोटिस जारी किया गया था, फिर भी वसूली या किसी अन्य प्रकृति का स्थगन देने का कोई आदेश नहीं था। याचिकाकर्ता से संपूर्ण वसूली कर ली गई है।

(4) उपमंडल अधिकारी (हिसार), एक आईएएस अधिकारी, ने इस रिट याचिका का जवाब दायर किया है। दरअसल, इतने वरिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी जिस लापरवाही से जवाब दाखिल कर रहे हैं, वह लगभग सभी मामलों में देखा जा सकता है। उत्तर आम तौर पर बिना दिमाग लगाए दाखिल किए जाते हैं। शायद दफ्तरों में काम करने वाले बाबुओं द्वारा तैयार किए गए जवाबों पर अधिकारियों से बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। अब समय आ गया है कि अधिकारियों को अपनी ओर से इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उच्च न्यायालय सहित कानून की अदालतों के समक्ष सटीक दलीलें दायर करनी चाहिए।

(5) दायर किए गए उत्तर में, अधिकारी ने 7 मार्च, 2007 के ज्ञापन के माध्यम से प्राप्त कुछ स्पष्टीकरण के अनुसार इस कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास किया है। उत्तर के अनुसार राजस्व विभाग के पटवारियों/कानूनगो के लिए निर्धारित योग्यताएं उनसे भिन्न हैं। समेकित विभाग में कार्यरत। इसमें कहा गया है कि राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारी

परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही कानूनगो के पद पर पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं, जबकि समेकित विभाग में कार्यरत पटवारी तीन साल के अनुभव के बाद बिना परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त के पदोन्नति के पात्र हो जाते हैं। तदनुसार, याचिकाकर्ता को एसीपी देने की पात्रता पर यह कहकर सवाल उठाया गया है कि उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट नहीं दी गई थी और इसलिए एसीपी वापस ले ली गई है क्योंकि यह गलती से दी गई थी। भुगतान किया गया अतिरिक्त वेतन भी वापस लेने का आदेश दिया गया और याचिकाकर्ता के मृत पति के सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, उत्तर में कोई औचित्य नहीं दिया गया है कि पारिवारिक पेंशन के लाभ या याचिकाकर्ता को देय मासिक वेतन और भत्ते से वसूली कैसे की जा रही है।

(6) वसूली को उचित ठहराने के लिए उठाया गया यह रुख स्पष्ट रूप से कानून में उचित नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह इंगित करने के लिए प्रतिकृति दायर की है कि नियम 8 एसीपी स्केल नियमों के प्रावधानों के अनुसार, एसीपी स्केल के अनुदान के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है यदि वह एसीपी के लागू होने से पहले उच्च मानक स्केल प्राप्त कर रहा था। इस संबंध में स्केल नियम 8(3) का संदर्भ दिया गया है जिसमें प्रावधान है कि जो सरकारी कर्मचारी इन नियमों (एसीपी) के प्रकाशन की तारीख को या उससे पहले अपने पद के कार्यात्मक वेतनमान के अलावा किसी अन्य वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें इस नियम के उपनियम (1) और (2) के प्रावधानों के संचालन से छूट दी जाएगी और ऐसे सरकारी सेवकों के संदर्भ में, प्रासंगिक एसीपी स्केल इन नियमों के तहत प्रदान किया गया माना जाएगा। यहां तक कि सरकार द्वारा जारी एक स्पष्टीकरण का भी हवाला दिया गया है कि एसीपी स्केल देने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता दोबारा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसीपी स्केल नियम, 1998 लागू होने से पहले उसे उच्च मानक स्केल मिल रहा था। इसके आधार पर, कलेक्टर, हिसार ने भी स्पष्टीकरण जारी किया है जो अनुलग्नक पी-6 के रूप में प्रतिकृति के साथ संलग्न है। फिर उप-विभागीय अधिकारी उस जवाब में यह रुख कैसे अपना सकता है जो उसने वसूली को उचित ठहराने या याचिकाकर्ता के मृत पति के वेतन को वापस करने के लिए दायर किया था? यह सरासर लापरवाही है या दिमाग का पूरी तरह से गैर-प्रयोग है। सरकार द्वारा

स्पष्टीकरण वर्ष 2008 में जारी किया गया है, जिसके आधार पर कलेक्टर, हिसार ने मार्च, 2008 में ज्ञापन जारी किया है। फिर भी, यह जवाब जून, 2008 में दायर किया गया है।

(7) या तो इस गलती का एहसास होने के बाद या इस गलत धारणा को बनाए रखने के लिए, 25 नवंबर, 2008 को एक और आदेश दिया गया, जिसकी प्रतिलिपि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिकृति के साथ रिकॉर्ड पर भी रखी गई है। याचिकाकर्ता इस आदेश को मनगढ़ंत मानता है और इसलिए इस मनगढ़ंत बात से संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करेगा। अनुबंध पी-7 में दिए गए एसीपी को वापस लेने का औचित्य यह है कि याचिकाकर्ता वेतन सुरक्षा के उद्देश्य को छोड़कर पिछली सेवा के लाभ का हकदार नहीं है और उसे नए प्रवेशी के रूप में माना जाना चाहिए, यह कहा गया है कि पिछली सेवा एचएसएमआईटीसी में याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एसीपी के अनुदान के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहले दाखिल किए गए उत्तर से रुख में स्पष्ट बदलाव है। याचिकाकर्ता का 3 दिसंबर, 2001 को निर्णयित 1998 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4935 में पारित आदेश का संदर्भ देना उचित है, जहां इसी कारण से एचएसएमआईटीसी के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई थी। तब सरकार ने अपने आदेश दिनांक 3 सितंबर, 2002 के तहत एचएसएमआईटीसी में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा को एसीपी के प्रयोजन के लिए गिनने का निर्णय लिया था। इस आदेश की कॉपी है रिकार्ड पर भी रखी गई। याचिकाकर्ता के दिवंगत पति और अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों के वेतन और भत्तों से वसूली का आदेश तब भी दिया गया था जब 2002 का सिविल सूट नंबर 623 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) फतेहाबाद के समक्ष दायर किया गया था। उस सिविल मुकदमे का फैसला 27 जुलाई, 2005 को हुआ था, जिसके खिलाफ राज्य ने अपील दायर की थी, जिसे 23 दिसंबर, 2005 को खारिज कर दिया गया था। एलआर, हरियाणा की राय के आधार पर इस आदेश के खिलाफ कोई और अपील दायर नहीं की गई थी, जिन्होंने पाया कि यह अपील के लिए उपयुक्त मामला नहीं था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता आग्रह करेगा कि 25 नवंबर, 2008 का अब पारित आदेश अदालत को गुमराह करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा की गई एक शरारत के अलावा और कुछ नहीं है और यह न केवल रिकॉर्ड के विपरीत है, बल्कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के भी खिलाफ है।

(8) ऊपर बताए गए तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि उत्तरदाताओं ने खुद को सम्मान से बरी नहीं किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े एक जिम्मेदार अधिकारी ने जवाब दाखिल करने से पहले रिकॉर्ड या कानूनी स्थिति देखने की जहमत नहीं उठाई। एक बार जब मुद्दे एक से अधिक न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से तय हो जाते हैं, तो अधिकारियों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे उस रुख पर कायम रहने का प्रयास करेंगे, जिसे अदालतों का समर्थन नहीं मिला है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत होगा, हो सकता है कि यह अदालत को गुमराह करने का प्रयास हो। जब उच्च मानक वेतन या अतिरिक्त वेतन वृद्धि के उद्देश्य से पिछली सेवा को गिनने के इस लाभ से इनकार करने का प्रयास किया गया, तो याचिकाकर्ता द्वारा इस कार्रवाई को चुनौती दी गई और 9 अक्टूबर, 2000 को रिट याचिका की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता के पति, इस प्रकार, एचएसएमआईटीसी में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए उच्च मानक वेतन आदि प्राप्त करना जारी रखा।

(9) याचिकाकर्ता के दिवंगत पति द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति देने का कारण यह था कि दिए गए लाभ को बिना कोई कारण बताएं नोटिस जारी किए वापस लेने की मांग की गई थी। उस दिन के बाद से उत्तरदाता किसी भी तरह से समझदार नहीं हुए हैं। वर्तमान में भी, याचिकाकर्ता के दिवंगत पति को दिए गए लाभ उनके जीवन काल के दौरान या उसके बाद याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना वापस ले लिए गए हैं, जो अपने दिवंगत पति की ओर से सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार होंगे। उत्तरदाता इस बुनियादी आवश्यकता को क्यों नहीं सीख सकते, जिसे कई मामलों में लागू और दोहराया गया होगा? क्या यह उत्तर दाखिल करने वाले व्यक्ति की ओर से पूरी तरह से दिमाग न लगाने को नहीं दर्शाता है? सचमुच यह होगा। यह शायद तब तक जारी रहेगा जब तक अधिकारी अपना-अपना जवाब दाखिल करते समय दायर मामलों पर अपना स्वतंत्र दिमाग नहीं लगाएंगे। यदि जवाब दाखिल करने वाले अधिकारी ने रिकॉर्ड देखने में थोड़ी सावधानी बरती होती, तो यह महसूस होना तय था कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति के खिलाफ जो वसूली होनी थी, वह शायद याचिकाकर्ता, जो उसकी पत्नी है, से नहीं की जा सकती। उन्हें इस ज्ञान का श्रेय दिया जा सकता है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर कुछ वसूली जो अन्यथा की जा सकती थी, कर्मचारी की मृत्यु के बाद इस प्रकार की जा सकने वाली नहीं हो सकती है। यदि वह थोड़ा

सावधान होते तो देख सकते थे कि जिस मुद्दे और आदेश का वह समर्थन करना चाहते हैं वह इस अदालत और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आधार पर तय स्थिति के विपरीत है। कई याचिकाओं में अपनाए गए इसी रुख को अदालत की मंजूरी नहीं मिली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी इसका निपटारा किया गया। जवाब दाखिल करने वाले व्यक्ति से अदालत के समक्ष यह रुख अपनाने की उम्मीद की जा सकती है और जहां ऐसा नहीं किया जाता है, वहां वैध रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अदालत को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इस रुख और दाखिल किए गए जवाब का नतीजा यह है कि याचिकाकर्ता के दिवंगत पति ने जो वेतन लिया था, उसे कम कर दिया गया है, जिससे याचिकाकर्ता को देय ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन की राशि कम हो जाएगी। परिणाम यह है कि रुपये की राशि. इस प्रकार, 2,01,440 वसूली योग्य हो गई है। रुपये की राशि. याचिकाकर्ता को देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से 1,10,084 रुपये की कटौती की गई है और शेष राशि छुट्टी नकदीकरण और याचिकाकर्ता को भुगतान की जा रही मासिक वित्तीय सहायता से काट ली गई है।

(10) याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी के जवाब में, यह एडमिटेड फैक्ट है कि याचिकाकर्ता ने एचएसएमआईटीसी में सेवा प्रदान की थी, लेकिन फिर भी उसे पारिवारिक पेंशन सहित सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान केवल राजस्व में उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा के आधार पर किया जा रहा है। इस प्रकार, 22 जून, 1979 से वर्ष 1990 में राजस्व विभाग में उनके अब्सॉर्पशन की तिथि तक की उनकी सेवा को पूरी तरह से छूट दी जा रही है। यह भी माना गया है कि इस वसूली को लागू करने से पहले कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इस संबंध में औचित्य यह है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद नोटिस देना संभव नहीं था। यह रुख यद्यपि अनुचित है, परंतु क्रूर भी प्रतीत होगा। एक बार जब कर्मचारी नहीं रह जाता है, तो लाभ उसकी पत्नी को देना होगा जो कानूनी रूप से इसे प्राप्त करने की हकदार है। इस प्रकार, इस विशिष्ट याचिका पर नोटिस देने की आवश्यकता को समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि कर्मचारी अब नहीं रहा। संक्षेप में, इस रिट याचिका पर कुल प्रतिक्रिया अदालतों के समक्ष मौजूद मुद्दों से निपटने में पूरी तरह से सावधान और आकस्मिक दृष्टिकोण के अलावा उत्तरदाताओं की ओर से उदासीनता को प्रतिबिंबित करेगी। विभिन्न अदालतों द्वारा इस संबंध में पारित पहले के आदेश और जैसा कि ऊपर देखा गया है, के

मद्देनजर एसीपी स्केल को वापस लेकर याचिकाकर्ता के दिवंगत पति के वेतन को फिर से तय करने का कानून या अन्यथा कोई औचित्य नहीं है। उत्तरदाताओं की यह कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित, अन्यायपूर्ण और इस प्रकार, अस्थिर है। याचिकाकर्ता को देय पेंशन लाभ से जो वसूली का आदेश दिया गया है, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, याचिकाकर्ता को देय मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण से हुई वसूली को भी पूर्ववत किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को देय पारिवारिक पेंशन भी उसके दिवंगत पति द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के आधार पर होगी जो उसे दिए गए एसीपी स्केल की गणना के आधार पर होगी। चूंकि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता को उस मुद्दे को उत्तेजित करने के लिए यह याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया है जो अन्यथा नहीं बल्कि उसके पति के मामले में भी सुलझाया गया था, इसलिए यह निश्चित रूप से देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को अनावश्यक रूप से यह याचिका दायर करने के लिए मजबूर किया गया है। यह न केवल उस पर बोझ होगा बल्कि इससे अदालत का समय भी बर्बाद होगा। याचिकाकर्ता द्वारा इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद उत्तरदाताओं से निष्पक्ष रुख अपनाने की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर वर्तमान विभाग से जानकारी प्राप्त की थी, जहां उनके द्वारा पूर्व में दायर रिट याचिका का संदर्भ दिया गया है। फिर भी उत्तरदाताओं ने रिकार्ड की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। इस प्रकार, वे अपने दृष्टिकोण में लापरवाह पाए जाते हैं जिन्हें अनदेखा या अनियंत्रित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(11) रिट याचिका स्वीकार की जाती है। वसूली का निर्देश देने वाला विवादित आदेश रद्द किया जाता है। इस आदेश के प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर पहले से वसूल की गई राशि वापस करने का निर्देश जारी किया जाता है। वसूल की गई कुल राशि का भुगतान किया जाएगा और साथ ही याचिकाकर्ता को देय शेष राशि भी भुगतान की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ चुकाई जाएगी। उत्तरदाताओं को इस याचिका की लागत का भुगतान करना होगा जिसका मूल्यांकन 25,000 रुपये है। यह राशि उस अधिकारी के वेतन से वसूल की जाएगी, जिसने यह जवाब दाखिल किया है या इस संबंध में जिम्मेदार पाए गए किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के वेतन से वसूली की जाएगी।

उत्तरदाता जवाब दाखिल करने वाले अधिकारी से उन परिस्थितियों को बताने के लिए कहेंगे जिनके तहत उन्होंने यह रुख अपनाया जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। यदि अधिकारी का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो उत्तरदाता उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली के सामने

तेज कौर और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 2008 की संख्या 17616

5 नवंबर, 2009

भारत का संविधान,1950- अनुच्छेद 226–पंजाब सहकारी समिति अधिनियम– एस.एस. 55 और 65 - सहकारी समिति के खातों में गबन, हेराफेरी और धोखाधड़ी पाई गई - प्रबंध समिति के सदस्यों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस - याचिकाकर्ताओं का बेटा सोसायटी के कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है - सहायक रजिस्ट्रार ने उसके जवाब पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ताओं के बेटे को दोषमुक्त कर दिया - सचिव गबन स्वीकार करना और गबन राशि जमा करना - याचिकाकर्ताओं की संपत्ति की कुर्की - याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सोसायटी द्वारा धारा 55 के तहत कोई विवाद नहीं उठाया गया - धारा 65 के तहत कुर्की की अनुमति है जहां धारा 55 के तहत एक संदर्भ लंबित है - याचिकाकर्ताओं का गबन के कृत्यों से कोई लेना-देना नहीं है सोसायटी - धारा

65 के तहत क्षेत्राधिकार का आह्वान करना पूरी तरह से अवैध, अनुचित और क्षेत्राधिकार के बिना है – केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं का बेटा एक कर्मचारी था, याचिकाकर्ताओं को किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है – याचिका स्वीकार की गई।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

नेहा सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा